महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 2721 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 20/3/2024

प्रति,

सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
वल्लभ भवन भोपाल

विषयः– शासकीय सेवकों की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति।

संदर्भः– म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्र. एफ 8–1/2024/नियम/चार भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024(प्रतिलिपि संलग्न)

––0––

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें शासकीय सेवकों की 30 जून/31 दिसंबर की सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में कंडिका 2 एवं 3 में निम्नानुसार उल्लेख हैः–

2/माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के दृष्टिगत समग्र विचार उपरांत एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुये शासकीय कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर उद्‌भूत हैं, को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में काल्पनिक (Notionally) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये। यह काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी।

3/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को स्वयं निर्णय कर आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

विषयांकित मुद्‌दे से संबंधित इस कार्यालय के संज्ञान में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रं.4349/2023 (धरमपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)** है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र पाया जाता है तो, उसे सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम वेतनवृद्धि का लाभ देते हुये बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाना चाहिये किन्तु बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान उसे प्रथम रिट याचिका दायर करने के 03 वर्ष पूर्व से ही किया जाना चाहिये।**

यदि मान्य हो तो शासन स्तर से वेतनवृद्धि स्वीकृत करते समय उक्त न्यायालयीन निर्णय को संज्ञान में लिया जा सकता है तथा उचित पाये जाने पर उक्त निर्णय से म.प्र.शासन वित्त विभाग, को भी अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20.3.2024

प्रमुख अभियंता

पृ0क्रमांक 2721 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 20/3/2024

प्रतिलिपिः–

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन बाणगंगा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकृति के प्रकरणों के स्वीकृति प्रस्ताव शासन की ओर भेजते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''धरमपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य'' में पारित निर्णय को ध्यान मे रखा जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20.3.2024

प्रमुख अभियंता